

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 342/2022

अनवान : -

1. कैलाश पुत्री चुनीराम जाति जाट निवासी मेहराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
 2. रोशनी पत्नी कैलाश जाति जाट निवासी मेहराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
- वादीगण

बनाम

1. जीतराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. दर्शना पत्नी भजनलाल जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. दौलतराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. मनफूल पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी मम्मड़ खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. महेन्द्र पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. रूकमणी पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. राजोदेवी पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील हनुमानगढ़।
8. प्रबन्धक, राधे राधे गौशाला समिति थिराना तहसील नोहर।
9. विमला देवी पत्नी भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी गोगासर तहसील रतनगढ़।
10. हंसराज पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. कृष्ण कुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी।
12. मांगीलाल पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
14. उप पंजीयक खुईया तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादीगण

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी प्रतिवादी स० 2, 6, 8, 10

श्री सुनील कटारिया प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12

निर्णय

दिनांक: 20/05/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 400/315 की कुल 46.0710 हैक्ट भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार हैं। वादी ने अपने हिस्से की भूमि समतल व उपजाऊ बना रखा है तथा प्रतिवादीगण के साथ सींव लगान कास्त आदि का झगड़ा रहता है इसलिए वादी अपना खाता व लगान मुताबिक कब्जा कास्त एवं अपने हक व हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण से अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 ता 5 व 7, 9 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त उपस्थित नहीं अतः प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 ता 5 व 7, 9 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2, 6, 8 व 10 की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने वकालतनामा पेश कर प्रतिवादी संख्या 6, 10 की तरफ से जवाब दावा पेश किया कि मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता व लगान अलग किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया ने वकालतनामा पेश किया। पक्षकारान की सहमति के आधार पर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 2, 6, 8, 10, 11, 12 ने सहमति प्रकट कर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 400/315 की कुल 46.0710 हैक्ट भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है में वादीगण ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 400/315 की कुल 46.0710 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. दर्शाना पत्नी भजनलाल जाति स्वामी साकिन देह खातेदार हिस्सा पूर्ण
ख0न0 116 में से 6.325 हैक्ट पश्चिमी दिशा
2. हंसराज पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन देह खातेदार हिस्सा 1/2 रहन एचडीएफसी बैंक शाखा रावतसर हि0 1/2, रुकमणी पत्नी हंसराज जाति जाट साकिन देह खातेदार हिस्सा 1/2 रहन एचडीएफसी बैंक शाखा रावतसर हि0 1/2
ख0न0 408/0.25 पूर्व दिशा, ख0न0 399/7.474 उत्तरी दिशा, ख0न0 577/11.369,
ख0न0 116/6.309 पूर्व दिशा कुल 25.402 हैक्ट
3. कृष्ण कुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ खातेदार हि0 5060/6679, मांगीलाल पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ खातेदार हि0 1619/6679
ख0न0 408 में से 6.679 हैक्ट पश्चिमी दिशा
4. कैलाश पुत्र चुनीराम जाति जाट सा0 मेहराना तहसील भादरा खातेदार हि0 2669/6717 रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर, रोशनी पत्नी कैलाश जाट सा0 मेहराना तहसील भादरा खातेदार हि0 4048/6717 रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर
ख0न0 408 में से 6.717 हैक्ट मध्य भाग
5. राधे राधे गौशाला समिति थिराना हिस्सा पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
नोहर


ख0न0 399 में से 0.506 हैक्ट दक्षिणी दिशा

6. जीतराम पुत्र श्योकरण हि0 336/4420 जाति जाट साकिन देह खातेदार, दौलतराम पुत्र श्योकरण हि0 337/4420 जाति जाट साकिन देह खातेदार, मनफुल पुत्र देवाराम हि0 101/442 जाति जाट सा0 मम्मड खेड़ा तह0 सादुलशहर खातेदार, महेन्द्र पुत्र श्योकरण हि0 337/4420 जाति जाट साकिन देह खातेदार, विमलादेवी पत्नी भवंरलाल हि0 240/442 जाति ब्राहमण साकिन गोगासर तहसील रतनगढ़ खातेदार

ख0न0 408 मे से 0.442 हैक्ट मध्य दक्षिणी दिशा

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 20/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 342/2022

अनवान : -

1. कैलाश पुत्री चुनीराम जाति जाट निवासी मेहराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रोशनी पत्नी कैलाश जाति जाट निवासी मेहराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
- वादीगण

बनाम

1. जीतराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. दर्शना पत्नी भजनलाल जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. दौलतराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. मनफूल पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी मम्मड़ खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. महेन्द्र पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. रूकमणी पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. राजोदेवी पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील हनुमानगढ़।
8. प्रबन्धक, राधे राधे गौशाला समिति थिराना तहसील नोहर।
9. विमला देवी पत्नी भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी गोगासर तहसील रतनगढ़।
10. हंसराज पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. कृष्ण कुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी।
12. मांगीलाल पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
14. उप पंजीयक खुईया तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 342 सन 2022 निर्णय दिनांक - 20/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर के अंतिम डिक्री किया रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स० 400/315 की कुल 46.0710 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. दर्शना पत्नी भजनलाल जाति स्वामी साकिन देह खातेदार हिस्सा पूर्ण
ख०न० 116 में से 6.325 हैक्ट पश्चिमी दिशा
2. हंसराज पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन देह खातेदार हिस्सा 1/2 रहन एचडीएफसी बैंक शाखा रावतसर हि० 1/2, रूकमणी पत्नी हंसराज जाति जाट साकिन देह खातेदार हिस्सा 1/2 रहन एचडीएफसी बैंक शाखा रावतसर हि० 1/2
ख०न० 408/0.25 पूर्व दिशा, ख०न० 399/7.474 उत्तरी दिशा, ख०न० 577/11.369,
ख०न० 116/6.309 पूर्व दिशा कुल 25.402 हैक्ट
3. कृष्ण कुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ खातेदार हि० 5060/6679, मांगीलाल पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन डबलीकला तहसील

al

टिब्बी जिला हनुमानगढ़ खातेदार हि0 1619/6679- ख0न0 408 में से 6.679 हैक्ट पश्चिमी दिशा

4. कैलाश पुत्र चुनीराम जाति जाट सा0 मेहराना तहसील भादरा खातेदार हि0 2669/6717 रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर, रोशनी पत्नी कैलाश जाट सा0 मेहराना तहसील भादरा खातेदार हि0 4048/6717 रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर

ख0न0 408 में से 6.717 हैक्ट मध्य भाग

5. राधे राधे गौशाला समिति थिराना हिस्सा पूर्ण


ख0न0 399 में से 0.506 हैक्ट दक्षिणी दिशा

6. जीतराम पुत्र श्योकरण हि0 336/4420 जाति जाट साकिन देह खातेदार, दौलतराम पुत्र श्योकरण हि0 337/4420 जाति जाट साकिन देह खातेदार, मनफुल पुत्र देवाराम हि0 101/442 जाति जाट सा0 मम्मड खेड़ा तह0 सादुलशहर खातेदार, महेन्द्र पुत्र श्योकरण हि0 337/4420 जाति जाट साकिन देह खातेदार, विमलादेवी पत्नी भवंरलाल हि0 240/442 जाति ब्राहमण साकिन गोगासर तहसील रतनगढ़ खातेदार

ख0न0 408 में से 0.442 हैक्ट मध्य दक्षिणी दिशा

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 20/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
नोहर